दैनिक जागरण

दौड़ने से पहले हमें चलना सीखना चाहिए

नए कश्मीर की झलक

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में बकरीद का त्योहार जिस तरह लगभग शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया वह उल्लेखनीय भी है और हालात सुधरने का भरोसा बढ़ाने वाला भी। यह सही है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की वापसी के बाद इस राज्य में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं और यह स्वाभाविक भी है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि राज्य के लोग बदली हकीकत को स्वीकार करते नजर आ रहे हैं और इस तथ्य के प्रति भी उनकी समझ बढ़ती जा रही है कि जो कुछ किया गया है वह इस राज्य और वहां के लोगों के हित में है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति न केवल जम्मू-कश्मीर के शेष देश के साथ एकीकरण के लिए आवश्यक थी, बल्कि उसके तेज विकास के लिए भी ऐसा करना अनिवार्य था। यह हालात में आ रहे बदलाव का ही प्रमाण है कि पिछले तीस साल में कश्मीर में पहली बार बकरीद के मौके पर हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई।

कश्मीर की नई हकीकत पाकिस्तान को भी स्वीकार करनी होगी और अंतरराष्ट्रीय मीडिया को भी। यह विचित्र है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का एक वर्ग दशकों से कश्मीर के मामले में पाकिस्तानी प्रभाव से ग्रस्त है। उसे कश्मीर के सही इतिहास को भी समझना होगा और वर्तमान को भी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया का जो वर्ग कश्मीर को पाकिस्तान के नजरिये से देख रहा है वह एक मुगालते में ही है। कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है-अनुच्छेद 370 के साथ भी और उसके बिना भी। अनुच्छेद 370 कश्मीर के भारत में एकीकरण को एक संवैधानिक-कानूनी रूप देने की कोशिश से अधिक नहीं था। इससे भी अधिक यह संवैधानिक प्रावधान कश्मीर के तत्कालीन नेताओं को तुष्ट करने के लिए लाया गया था। आश्चर्य नहीं कि इस प्रावधान से सबसे अधिक लाभ उन स्थानीय नेताओं और उनके परिवारों को ही हुआ जिन्होंने कश्मीर को हमेशा अपनी निजी जागीर की तरह देखा। कश्मीर के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मीडिया की आधी-अधूरी जानकारी का कारण यह है कि वह वास्तविक रिपोर्टिंग से दूर है। राज्य में अशांति की दो-चार घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर जिस तरह की तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है वह जमीनी हकीकत से कोसों दूर होती है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया को यह सच्चाई भी स्वीकार करनी होगी कि कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। यह उचित है कि केंद्र सरकार के स्तर पर यह संकेत दिए जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

सोशल मीडिया पर नजर

बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर चलने वाले आपत्तिजनक वीडियो और अन्य सामग्रियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री की यह पहल निश्चित रूप से राहत देने वाली साबित होगी। दरअसल सोशल मीडिया पर मैसेज बेहद तेजी से फैलते हैं और इनका तुरंत असर होता है। जब तक पुलिस-प्रशासन कोई कदम उठाता है तब तक खासा नुकसान हो चुका होता है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इनका पालन कराना खासा मुश्किल है। अभी तक सरकारी मशीनरी के पास न तो पर्याप्त उपकरण हैं और न ही तकनीकी विशेषज्ञ। ऐसे में प्रशासन के सामने स्थिति पर नियंत्रण के विकल्प बहुत सीमित हैं। ईद, रक्षा बंधन और स्वतंत्रता दिवस इसी हफ्ते पड़ रहे हैं। सरकार के सामने विधि व्यवस्था बनाए रखने की गंभीर चुनौती है। इस चुनौती में सोशल मीडिया पर फैलने वाले आपत्तिजनक संदेश भी शामिल हैं। अभी हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बकरीद के दौरान विधि-व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव एवं डीजीपी सहित पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए जाने का मसला विमर्श के केंद्र में रहा। मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि कहीं त्योहारों के दौरान शरारती तत्व सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बार त्योहार के पहले ही ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है जिससे सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग न किया जा सके। इसके लिए सभी जिलों में विशेष सेल बनाए जा रहे हैं। इसमें आइटी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा रहा है। एसटीएफ भी इसमें सहयोग देगी। यदि मामला ज्यादा गंभीर हो गया तो इलाके की इंटरनेट सेवा बंद करने का तत्काल निर्णय भी लिया जा सकेगा। इन सारी कवायद से यह उम्मीद की जा सकती है कि शरारती तत्व अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन आपत्तिजनक कंटेंट पर नजर रखने की यह व्यवस्था स्थायी होनी चाहिए। ऐसा न हो कि त्योहारों के दौरान प्रशासन की सतर्कता से शरारती तत्व अपने मकसद में कामयाब न हों, लेकिन सामान्य दिनों में वे खुराफात कर गुजरें। ऐसे मामलों में आम जन को भी सचेत रहने की जरूरत है। किसी भी वीडियो पर चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न लग रहा हो, आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए।

दरें घटाने से ही नहीं बढ़ेगी अर्थव्यवस्था

डॉ. भरत झुनझुनवाला

कर्ज को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास वाली रणनीति की एक सीमा है। यह तभी उपयोगी होती है जब उपभोक्ता एवं निवेशक को भविष्य पर भरोसा हो

अवधेश राजपूत

फिलहाल दुनिया भर में ब्याज दरें घटाने की होड़ चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर दबाव बना रखा है कि हाल में की गई कटौती को जारी रखते हुए आगे भी ब्याज दरें घटाने पर काम करें। न्यूजीलैंड, थाईलैंड और भारत के केंद्रीय बैंकों ने भी पिछले महीने ब्याज दरों में कटौती की है। चीन ने आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की, परंतु माना जा रहा है कि वहां भी अंदरखाने ब्याज दरों में कटौती की गई है। ब्याज दरों में कटौती के पीछे सोच है कि ब्याज दर कम होंगी तो उपभोक्ता कर्ज लेकर बाइक अथवा टीवी खरीदेंगे जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। इसके साथ ही ब्याज दर न्यून होने से निवेशकों के लिए कर्ज लेकर फैक्ट्री लगाना आसान हो जाएगा और वे बाइक एवं टीवी बनाने के कारखाने लगाएंगे। इस प्रकार उपभोक्ता की मांग और निवेशक की आपूर्ति के बीच एक सही चक्र स्थापित हो जाएगा, लेकिन प्रश्न है कि क्या वास्तव में ऐसा होगा? इसकी पड़ताल के लिए हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीतियों को ही दुनिया के तमाम देश अपनाते दिख रहे हैं।

अमेरिकन बैंक एसोसिएशन के अनुसार अमेरिका में श्रमिकों के वेतन दबाव में हैं और वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। हालांकि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग अब तक बेरोजगार थे उन्हें अब रोजगार मिल गया है, लेकिन रोजगार पाए हुए लोगों की तुलना में बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत कम है। बाजार में मांग की गति जानने के लिए, जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी खपत पर विचार करना होगा। वे दोहरा झटका झेल रहे हैं। एक तो उनके वेतन पर दबाव है और दूसरा वे कर्ज के बोझ तले दबे हैं। फिर भी वे भारी मात्रा में खपत कर रहे हैं। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर तीन प्रतिशत के मजबूत स्तर पर टिकी हुई है। इस बीच अहम प्रश्न यही है कि वेतन पर दबाव की स्थिति में भी वे कर्ज लेकर खपत क्यों कर रहे हैं?

प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आक्रामक स्वभाव और आत्मविश्वास से वह अमेरिकी जनता को भविष्य पर भरोसा दिला रहे हैं। उसी भविष्य पर भरोसे के चलते अमेरिकी नागरिक वेतन में गिरावट के बावजूद कर्ज लेकर खपत कर रहे हैं। इस खपत के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। जैसे मौसम विभाग भविष्यवाणी करे कि वर्षा अच्छी होगी तो किसान चारों तरफ सूखा दिखने के बावजूद खेत में बोआई करने लगते हैं। वैसे ही अमेरिकी उपभोक्ता खपत में जुटे हैं।

दूसरा प्रश्न है कि अमेरिका की विकास दर इतनी मजबूत क्यों है? खासतौर से तब जब चीन के साथ उसका ट्रेड वार जारी है। अमेरिकी निर्यात दबाव में हैं। उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में विकास का स्रोत कहां है? रोजगार कहां से बढ़ रहे हैं? इसके पीछ कहानी यह है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं द्वारा टैक्सी, और मसाज पार्लर जैसी तमाम सेवाओं की अधिकाधिक खपत की जा रही है। इन सेवाओं में रोजगार ज्यादा बनते हैं। इसलिए अमेरिका में उत्पादन स्थिर रहने और उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता भी सीमित रहने के बावजूद रोजगार बन रहे हैं। दरअसल अमेरिका में जो आर्थिक प्रगति हो रही है और रोजगार बन रहे हैं उसका आधार ब्याज दरों में कटौती नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जनता में आत्मविश्वास पैदा करना है।

अमेरिकी सरकार की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी कंपनियों पर और अमीरों पर आयकर में भारी कटौती की थी। इससे अमेरिकी सरकार के राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है। वर्ष 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप के सत्तारूढ़ होने के समय अमेरिकी सरकार का राजस्व 3320 अरब डॉलर था जो वर्ष 2019 में 3440 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इसमें बहुत ही मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन अमेरिकी सरकार के खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी अवधि में अमेरिकी सरकार के खर्च 3900 अरब डॉलर से बढ़कर 4500 अरब डॉलर होने का अनुमान है। राजस्व में 120 अरब डॉलर की वृद्धि के मुकाबले खर्चों में 600 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। इन खर्चों की पूर्ति के लिए अमेरिकी सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारी कर्ज ले रही है। ऐसे में अमेरिका के मौजूदा तीव्र विकास का असली स्रोत यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनता में भविष्य को लेकर आशा का संचार किया जिसके चलते अमेरिकी जनता वेतन के दबाव में होने के बावजूद कर्ज लेकर खपत कर रही है।

दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार ने टैक्स कटौती की है। इसके चलते अपने बढ़े हुए खर्चों की भरपाई के लिए भारी मात्रा में कर्ज लेना पड़ रहा है। यानी अमेरिकी उपभोक्ता और अमेरिकी सरकार दोनों कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और इसके दम पर ही अमेरिकी आर्थिक विकास में तेजी कायम है। इस आर्थिक विकास की कुंजी ब्याज दरों की कटौती में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के कारण लिए जाने वाले ऋण में है। कर्ज लेकर आर्थिक विकास हासिल करने की रणनीति की अपनी एक सीमा है और यह ज्यादा दिनों तक कारगर नहीं रहती। एक समय निवेशक भी समझ जाते हैं कि कर्ज लेने वाले की स्थिति डांवाडोल है और वे या तो कर्ज देना बंद कर देते हैं या फिर ऊंचा ब्याज मांगते हैं। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि वर्तमान में हो रहा आर्थिक विकास जोखिम भरा है और विश्लेषकों की राय है कि ब्याज दरें घटाकर हम देशों को आर्थिक संकट से नहीं उबार पाएंगे।

अब यदि भारत में रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटा भी दे आत्मविश्वास के अभाव में उपभोक्ता एवं निवेशक दोनों ही कर्ज लेने में कतराएंगे। ध्यान करें कि बीते समय में रिजर्व बैंक ने कई बार ब्याज दरों में कटौती की है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि भविष्य में आत्मविश्वास बढ़ने पर ही उपभोक्ता एवं निवेशक कर्ज लेते हैं। यानी सस्ता कर्ज स्वयं में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का मंत्र नहीं है। सस्ता कर्ज केवल उस समय उपयोगी होता है जब उपभोक्ता एवं निवेशक को भविष्य पर भरोसा होता है। बीते समय में तमाम उद्यमियों ने कहा है कि सरकारी अधिकारी उन्हें चोर की दृष्टि से देखते हैं। हाल में कैफे कॉफी डे के संस्थापक द्वारा आत्महत्या किए जाने के पीछे भी यही कारण बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह जनता और निवेशकों से वार्ता करे। निवेशकों को सम्मान दे और उनके मन में भविष्य के प्रति जो आशंका दिख रही है उसका निवारण करे जिससे कर्ज लेकर खपत एवं निवेश का आदर्श चक्र स्थापित हो सके।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

खेती को लाभकारी बनाने का समय

केसी त्यागी

सरकार को एमएसपी नीति में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि इससे सीमित मात्रा में ही किसान लाभान्वित हो पाते हैं

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और पंजाब सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा प्रदान करने पर विचार करने को कहा गया है। अदालत की इस टिप्पणी से एमएसपी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। न्यायालय ने वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को सख्ती से लागू करने संबंधी निर्देश भी राज्य सरकार को दिया है, ताकि किसान अपने अनाज को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर न रहें। भंडारण क्षमता के अभाव में करीब 20 फीसद खाद्यान्न सड़-गल जाते हैं। हालांकि यह पहला अवसर नहीं जब एमएसपी न मिलने तथा इनसे जुड़ी अनियमितताओं को लेकर न्यायालय ने टिप्पणी की हो। समय-समय पर सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों द्वारा कृषि और ग्रामीण दुर्दशा की ओर सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। दुर्भाग्यवश समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन किसानों के हालात नहीं बदलते।

विभिन्न राज्यों से निरंतर आती रही खबरों से स्पष्ट है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नसीब नहीं हो रहा है। कृषि मंत्रालय तथा नीति आयोग भी स्वीकार चुके हैं कि अधिकांश किसान घोषित एमएसपी तक से वंचित रह जाते हैं। कृषि उत्पादों के दाम तय करने वाले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी द्वारा लागत मूल्य तय करने वाली प्रक्रिया लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। इसकी मुख्य वजह है लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया। पिछले बजट में केंद्र सरकार द्वारा फसलों के दाम डेढ़ गुना किए जाने का वादा जरूर निभाया गया है, लेकिन एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, जिसमें सी-2 फॉर्मूले के तहत लागत मूल्य निर्धारित किए जाने की संस्तुति की गई थी, अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मौजूदा लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में ए2-एफएल को आधार बनाकर फसलों की लागत मूल्य के अनुपात में एमएसपी बढ़ाया गया है, जबकि सी-2 प्रणाली को आधार मानकर लागत के अतिरिक्त 50 फीसद का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान संगठनों की मांग रही है। प्रक्रिया ए2-एफएल के तहत खेती में प्रयुक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, मशीनों का किराया तथा पारिवारिक श्रम शामिल होते हैं, जबकि 'व्यापक लागत' यानी सी-2 व्यवस्था के तहत अन्य लागतों के साथ स्वयं की भूमि का किराया भी शामिल किया जाता है जो ए2-एफएल से अधिक व्यापक होता है। इस प्रक्रिया के तहत लागत मूल्य निर्धारण करने से किसानों को मिलने वाले दाम और मौजूदा व्यवस्था के तहत मिलने वाले दाम में बड़ा अंतर है। यही कारण है कि किसान लगातार इसकी मांग करते आ रहे हैं।

चूंकि किसानों से फसल खरीदने के लिए एक मूल्य नीति की आवश्यकता थी, इस दिशा में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई जो आज सीएसीपी के रूप में मौजूद है और मुख्य रूप से कृषि उत्पादों का दाम निर्धारित करता है। मूल्य समर्थन नीति के बाद ही किसानों को उनके उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकारी गारंटी मिल पाई, लेकिन लागत मूल्य के सही आकलन और सबको एमएसपी मिले, इसे सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के दोषपूर्ण होने के कारण इसकी सार्थकता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। शांता कुमार की रिपोर्ट में वर्षों पहले यह बात कही जा चुकी है कि सरकार को अपनी एमएसपी नीति में बदलाव करने की जरूरत है। इसी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आ चुका है कि देश के मात्र छह फीसद किसान ही किसी खरीद एजेंसी को अपना धान एवं गेहूं बेचकर एमएसपी से लाभान्वित हो पाते हैं। मौजूदा स्थिति में एमएसपी को लेकर इतना शोरगुल इसीलिए है, क्योंकि किसानों को एमएसपी के आसपास की कीमत भी नहीं मिल पा रही। इस दिशा में जरूरत है कि सरकार भंडारण एवं वेयरहाउसिंग की सुविधा को दुरुस्त करने के साथ एफसीआइ के कामकाज के तरीके को भी सुदृढ़ करने पर जोर दे।

समझना होगा कि कृषि सामग्री समेत उपभोग की अन्य वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, परंतु उसके समानुपातिक कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि नहीं हो पाई है। वर्ष 1994 से 2014 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्टील, सीमेंट, कपड़े, आवासीय व्यय, खाद्य पदार्थों, शिक्षा, चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी लगभग 300 प्रतिशत तक का इजाफा देखा गया है। रासायनिक खादों के दाम 300 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये तक हो गए हैं, कीटनाशकों की कीमत में भी लगभग चार से पांच गुना तक की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कृषि उत्पादों की कीमतों में औसतन 75 से 80 फीसद तक की ही बढ़ोतरी हो पाई है। यह बढ़ती महंगाई के समानांतर नाकाफी है। इस सूरत में ग्रामीण संरचना कमजोर होती जा रही है। प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि खेती के दायरे से घटती जा रही है। किसान बहुत तेजी से मजदूर बनते जा रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक 86 प्रतिशत भू-मालिक किसान और लगभग 80 फीसद मजदूर किसान कर्ज में डूबे हैं। आत्महत्याओं पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में कृषि उद्योग की लाभकारी परिकल्पना के तहत खेतिहरों को संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार की सहायता राशि उत्साहवर्धक है। सीधे कृषकों के खाते में जाने से किसान लाभान्वित हुए हैं। ऐसा ही कुछ बीमा योजना के संबंध में भी किए जाने की जरूरत है। सख्त निगरानी में फसलों की क्षति का सही मूल्यांकन न हो पाने से बीमा किसानों के लिए घाटे का सौदा बन रहा है।

राहत की बात है कि बीते पांच वर्षों में किसानों से जुड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे हैं। इस दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हुआ, लेकिन लंबे समय से कृषि जगत के प्रति बरती गई उदासीनता पर विराम लगाने के लिए खेती-किसानी में उत्साह भरने की इस समय सख्त जरूरत है। पूर्ववर्ती सरकारों की मनोवृत्ति और रवैया इस सरकार में नहीं दिखना चाहिए, ऐसी किसानों की अपेक्षाएं हैं।

(लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समय

मानव जीवन परमात्मा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। यह परमात्मा की अद्भुत, सर्वोत्कृष्ट रचना है। जीवन की महत्ता समझना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। तात्विक रूप में जीवन का अर्थ है समय। अगर कोई समय का महत्व समझ ले तो उसका जीवन जग में वंदनीय बन जाता है। व्यक्ति समय की बर्बादी एवं दुरुपयोग पर ध्यान नहीं देते। समय नुकसान करने का अर्थ-जीवन को नष्ट करना है। मनुष्य अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को फिजूल आलस्य-प्रमाद-उन्माद में खो देते हैं। वह बीता समय पुनः वापस लौटकर नहीं आता।

समय पर ही सब सुंदर लगता है। समय बीतने पर वह महत्वहीन हो जाता है। इसी प्रकार जीवन घट से अमूल्य क्षणों के जितने बूंद गिर जाते हैं, घड़ा उतना ही खाली हो जाता है। घड़े की वह रिक्तता कभी भी किसी प्रकार से पुनः पूर्ण नहीं की जा सकती। मनुष्य जो अमूल्य क्षण आलस्य, प्रमाद, व्यसन में बर्बाद करता है, उतने ही समय में वह कोई सार्थक कार्य कर सकता है। मनुष्य के जीवन का पल-पल एक उज्ज्वल भविष्य की संभावना को अपने साथ लेकर इस धरती पर आता है। जीवन का हर पल मनुष्य के उत्थान के लिए महान मोड़ साबित हो सकता है। व्यक्ति जब समय गंवाता है तो उसे पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। जो जीवन में कुछ करने की तमन्ना, सपना मन में संजोए हैं, उन्हें चाहिए कि वे कभी भी अपने कर्म-कर्तव्य को भूल कर भी कल पर न छोड़ें। जो कार्य आज करना है, उसे कल पर नहीं छोड़कर आज ही करना चाहिए और कल के काम के लिए कल का दिन निर्धारित करना जरूरी है। इसे नजरअंदाज करना स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। यह अपने भविष्य को पतन के गर्त में गिराने जैसा है।

परमात्मा ने जीवन का यह अमूल्य समय मनुष्य को महानता का इतिहास रचने के लिए प्रदान किया है, पर वह समय की पहचान नहीं करने के कारण दर-दर ठोकर खाते नारकीय जीवन जीता है। विवेकानंद 32 वर्ष की आयु में देवसंस्कृति के पुरोधा बने। विश्व के क्षितिज पर सुनहरे अक्षरों में नाम अंकित करने में समर्थ हुए।

मुकेश ऋषि

संघ लोक सेवा आयोग और उसकी हिंदी

विनोद राठी

यूपीएससी हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ कोई भेदभाव करता ही नहीं है तो फिर वह क्यों सर्जिकल स्ट्राइक को 'शल्य प्रहार' लिखता है?

यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग इन दिनों में चर्चा में है। चर्चा का कारण है इस साल सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों की हिंदी। उदाहरण के लिए एक प्रश्न कुछ इस प्रकार है-'भारत में संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विस्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिरोध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है?' यह सवाल किसी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी में डर का भाव पैदा कर सकता है।

प्रश्न उठता है कि क्या आयोग नहीं चाहता कि हमारे देश की प्रशासनिक मशीनरी में अंग्रेजी माध्यम के अतिरिक्त हिंदी, गुजराती, तमिल इत्यादि भाषा के लोग प्रवेश करें? अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए। अगर संघ लोक सेवा आयोग चाहता कि हिंदी माध्यम के लोग सेवा में नहीं आने चाहिए तो 2013 में निशांत जैन की 13वीं रैंक कैसे आई? 2017 के परिणाम अनुसार साक्षात्कार में हिंदी माध्यम के एक परीक्षार्थी को 275 में से 198 नंबर कैसे दिए गए? इसका निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर संघ लोक सेवा आयोग किसी प्रकार का कोई भेदभाव करता ही नहीं है तो फिर वह क्यों सर्जिकल स्ट्राइक को 'शल्य प्रहार' के रूप में लिखता है? दरअसल यही वह बिंदु है जिस पर संघ लोक सेवा आयोग और हमारे जनप्रतिनिधियों को विचार करने की आवश्यकता है।

ध्यान रहे कि जब हम जनसांख्यिकीय लाभांश की बात करते हैं तो उसमें केवल अंग्रेजी माध्यम के लोग ही नहीं, बल्कि हिंदी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के युवा भी शामिल होते हैं जो हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जज्बा रखते हैं। विडंबना देखिए एक ओर तो हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लिए हुए हैं और दूसरी ओर हमारे देश की मानव पूंजी अनुवाद के आगे घुटने टेक रही है!

आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो? दरअसल इस समस्या के निदान के लिए द्वि-आयामी नीति अपनाने की आवश्यकता है। पहला संघ लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ है और दूसरा उसकी तैयारी में जुटे विद्यार्थियों से। संघ लोक सेवा आयोग को चाहिए कि वह उन्हीं अनुवादकों का प्रयोग करे जो 2011 से पहले उससे जुड़े थे, क्योंकि पहले वाली उसकी हिंदी बेहतर थी। दूसरा आयाम विद्यार्थियों से है जिस पर मैं सर्वाधिक जोर देना चाहता हूं। सोचिए, आप इतने सारे विषय पढ़ते हैं। लगभग हर वह विषय जो समाज और देश को समझने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन अंग्रेजी जो देश-दुनिया को समझने के लिए वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बनती जा रही है उसके आगे इतनी लाचारी क्यों? अगर आयोग और विद्यार्थी उपरोक्त आयामों पर गंभीरता से विचार करें तो इससे न सिर्फ क्षेत्रीय भाषा के विद्यार्थियों की क्षमता सुधरेगी, बल्कि अनुवाद की समस्या से निजात पाकर संघ लोक सेवा आयोग भी अपनी विश्वसनीयता को बनाए रख सकता है।

(लेखक एमडीयू विवि में शोधार्थी हैं)

अब खत्म होगा घाटी से आतंकवाद

देर से उठाया गया दुरुस्त कदम शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रकाश सिंह एवं प्रतिभा नैथानी ने अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले की सराहना की है। यह कहना बिल्कुल सही है कि जम्मू-कश्मीर में पूर्व से लागू अनुच्छेद 370 अस्थायी था, इसलिए बहुत पहले ही हट जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब जबकि सरकार ने यह साहसिक निर्णय लिया ही है तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे पहली चुनौती यही है कि जम्मू-कश्मीर में आम जनमानस में विश्वास बहाली की जाए और यह तभी होगा जब वहां कई दशकों से चली आ रही आतंकवाद की विषबेल को नष्ट कर दिया जाए। बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर तेजी से उपलब्ध कराए जाएं। विकास की ओर प्रदेश को उन्मुख किया जाए। इन कदमों से प्रभावित प्रदेश का आम जनमानस अनुच्छेद 370 खात्मे से पहले और बाद के कश्मीर की तुलना कर जब बाद का प्रदेश बेहतर पाएगा तो सच मानिए विश्वास बहाली में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। अतः सरकार अब केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की गंगा बहाने की दिशा में कदम बढ़ाए और पाक अधिकृत कश्मीर को भी वापस लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक कदम उठाए, ताकि अलग-थलग पड़े उस क्षेत्र को विकास के मार्ग पर लाया जा सके।

सर्वजीत आर्या, प्रधानाचार्य, कन्नौज

श्रीराम के वंशज होने के सुबूत

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भगवान श्रीराम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है? इस पर जयपुर की राजकुमारी ने अपनी दिवंगत मां पद्मिनी देवी के निर्देश पर जयपुर स्थित सिटी पैलेस में रखे रामजन्म भूमि और अयोध्या के अति प्राचीन नक्शे को सुबूत के तौर पर पेश किया है और यह दावा किया है कि जयपुर का राजघराना ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के वंशज हैं। वे श्रीराम के पुत्र कुश के 309वीं पीढ़ी के राजा हैं। कुश के वंशज होने से वे कछवाहा वंश, संभवतः कुश का अपभ्रंश होकर यह शब्द हो गया है, कहलाते हैं। राज कुमारी के अनुसार उनका परिवार प्रभु श्रीराम की 309वीं पीढ़ी है। 25 वर्ष में प्रायः राजकुमारों की शादी के बाद उनका उत्तराधिकारी पैदा हो जाते हैं। इस तरह 25 गुणा 309 बराबर 7725 वर्ष हुआ। जबकि पुराणों और स्मृतियों की गणना के अनुसार प्रभु श्रीराम का जन्म आज से लगभग तैतालिस लाख, बीस हजार साल पूर्व इस धरती पर हुआ था, न कि मात्र 7725 वर्ष पूर्व। जैसा कि राज कुमारी दावा कर रही हैं, इसलिए उनका यह दावा पूर्णतः भ्रामक और गलत धारणाओं पर आधारित है और पूर्णतया मिथ्याचार है।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

मेलबाक्स

गुलाम कश्मीर में दमन

यह सही है कि जब राजा हरि सिंह कश्मीर के शासक थे, तब पाकिस्तानी कबायलियों ने अचानक हमला करके कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया था। तभी से पाकिस्तान उसे अपना बताता आ रहा है। यह अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पीओके के संबंध में संसद में अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर न केवल भारत का है, बल्कि वहां के लोग गुलाम कश्मीर को भारत में शामिल करने के पक्ष में भी आ रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं। इसकी वजह वहां हो रहे नागरिकों का शोषण और दमन है। पाकिस्तान ने 1947 में सेना के बूते गिलगित और बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा कर लिया था। तभी से यहां लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है।

ritesh01upadhyay@gmail.com

इंदिरा गांधी की भूल

वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्ध में भारत ने एक तरफा विजय हासिल की थी। पाकिस्तान के लगभग 15 हजार किमी जमीन पर कब्जा एवं 90 हजार सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था। भारत ने युद्ध में जो जमीन कब्जाई थी उसमें पाक अधिकृत कश्मीर का भी हिस्सा था और लाहौर का भी कुछ क्षेत्र था, लेकिन भारत सरकार ने वापस कर दिया। अगर उस समय भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया होता तो आज कश्मीर कोई मुद्दा नहीं होता और पाकिस्तान के एक बड़े क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण होता।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।